

25/08/2021

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत
पत्र पत्र बाबत विद्वां विद्ये जाने दावा पेसा
होने पर पत्रावली पूर्व नियत तारीख
पेशी से तलब की जाकर आज पेसा
हुई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र का अकलीकन किया गया। चूंकि एतद्गत
वादपत्र के क्रॉस दावा हरिशंकर vs कलाश
पत्रों में विवादित पक्षकारान के मध्य राजीनामा
होकर प्रकरण का निस्तारण हो चुका है।

अतः एतद्गत वादपत्र में उक्त
वर्तित वादपत्र के मुताबिक राजीनामा निस्तारण
के क्रम में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर
Dish की जाती है। पत्रावली केसस शुभान
होकर नम्बर से क्रम हो तथा बाद नक़ील
दाखिल पत्र हो। निविदि जुले न्यायालय
में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी RAS
खण्डेला (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)